

FREE EBOOK



प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना



For SSC, Railway & Other Govt Exams

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

भारत की केंद्र सरकार ने 2022 के भीतर 'सभी के लिए आवास' योजना को पूरा करने के उद्देश्य की शुरुआत की। इस उद्देश्य को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरा किया जायेगा। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य कुछ बुनियादी सुविधाओं से युक्त आम लोगों को पक्का घर प्रदान करना है। PMAY-G योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास पक्का घर नहीं है और वे अभी भी कच्चे घरों में या काफी टूटे हुए घरों में रह रहे हैं। इस योजना के तहत बनाए गए पक्के मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है। पहले इस योजना के तहत घर का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर था।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सब्सिडी योजना

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, लाभार्थी या प्राप्तकर्ता विभिन्न वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। PMAY-G ऋण के तहत ऋण प्राप्त करने की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- ब्याज सब्सिडी की गणना 3% है
- अधिकतम मूलधन की सब्सिडी 2 लाख रुपये है
- देय ईएमआई के लिए अधिकतम राशि की सब्सिडी जो आवेदक प्राप्त कर सकते हैं वह 38,359 रुपये है

PMAYG योजना की विशेषताएं

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- मैदानी इलाकों के लिए सरकार हर यूनिट की कीमत को राज्य और केंद्र सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में बाटेगी। इस प्रकार, वे प्रत्येक इकाई के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेंगे।
- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विभाजित राशि 90:10 है। इस प्रकार, वे प्रत्येक इकाई के लिए 1.30 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेंगे।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र से 100% वित्तपोषण होगा। इसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी शामिल है।
- मनरेगा अकुशल श्रमिकों के लाभार्थियों को प्रति दिन 90.95 रुपये प्रदान करेगा।
- केंद्र SECC (यानी, सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)) के मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान करेगा। ग्राम सभाएं मापदंडों का सत्यापन करेंगी।
- सरकार स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत मनरेगा या अन्य अतिरिक्त योजनाओं के साथ शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता करेगी।
- वे सीधे बैंक खातों या आधार कार्ड नंबरों से जुड़े ड्राफ्ट खातों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करेंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पात्रता के लिए आवश्यकताओं को

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए एक निश्चित पात्रता मानदंड है। इसमें विशिष्ट अभाव स्कोर और विभिन्न अन्य प्राथमिकता सूचियां शामिल हैं। पात्रता मानदंड पर विवरण निम्नलिखित हैं:

- ऐसे परिवार जो बिना कमरे या एक या दो कमरे और कच्ची छत और कच्ची दीवार वाले घरों में रहते हैं।
- बेघर परिवार
- जिन परिवारों में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है और एक विकलांग सदस्य है।
- बिना किसी भूमि वाले परिवार जिन्हें नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त होती है।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य।



Introducing

SSC CGL 2022-23

Foundation Batch

30% Off





220+ Live & Video Classes

2100+ Practice Questions & Solutions

270+ Mock Tests

[View Details](#)

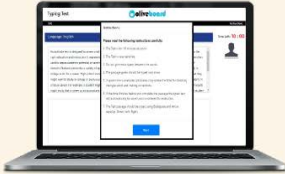


Worried About Your Performance In

SSC TYPING TEST?



We've Got You Covered!



Attempt SSC Typing Tests Now
(As per NEW / Updated Rules Released by SSC)

Check Your Speed & Accuracy

Improve

SSC CHSL DEO | DEO Grade A

SSC CHSL LDC/ JSA

Postal Assistant/ Sorting Assistant



www.oliveboard.in

मंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभार्थियों को बाहर रखने वाले कारक

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभार्थियों को बाहर करने वाले कारक निम्नलिखित हैं::

- आवेदक जिनके पास कृषि उपकरण, मछली पकड़ने की नाव या वाहन हैं, जैसे कि दो, तीन या चार पहिया वाहन।
- आवेदक जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, जिसकी सीमा पचास हजार रुपये से अधिक या उसके बराबर है।
- कोई भी परिवार जिसमें परिवार का कम से कम एक सदस्य सरकार में कार्यरत हो या परिवार का कोई सदस्य एक महीने में 10,000 रुपये से अधिक कमाता हो।
- कोई भी जो पेशेवर कर, आयकर का भुगतान करता है, या जो लैंडलाइन फोन कनेक्शन या रेफ्रिजरेटर का मालिक है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

- आवेदक या लाभार्थी की ओर से आधार कार्ड का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सहमति दस्तावेज।
- आधार नंबर।
- लाभार्थी जॉब कार्ड की संख्या जो मनरेगा द्वारा पंजीकृत है।
- एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) की लाभार्थी संख्या।
- बैंक खाते की जानकारी और विवरण।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए लाभार्थी का पंजीकरण

1. PMAYG के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. मोबाइल नंबर, लिंग, आधार कार्ड नंबर आदि जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें।
3. फिर, सहमति फॉर्म अपलोड करें, जो निर्दिष्ट करता है कि वे आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
4. लाभार्थी का नाम, प्राथमिकता और पीएमएवाई आईडी खोजने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें।
5. 'रजिस्टर करने के लिए सिलेक्ट बटन' पर क्लिक करें।
6. लाभार्थी विवरण स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है।
7. शेष लाभार्थी विवरण निर्दिष्ट करें, जैसे संबंध, स्वामित्व प्रकार, इत्यादि।
8. सहमति फॉर्म अपलोड करें, जो निर्दिष्ट करता है कि वे आवेदक की ओर से आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
9. अगले भाग में लाभार्थी खाता विवरण जोड़ें, जैसे बैंक खाता संख्या, लाभार्थी का नाम, इत्यादि।
10. यदि आवेदक को ऋण लेने की आवश्यकता है, तो "हां" चुनें और आवश्यक राशि निर्दिष्ट करें।
11. अगले भाग में SBM और MGNREGA जॉब कार्ड नंबर निर्दिष्ट करें।

FREE Ebooks

[Download Now](#)

Current Affairs

[Explore Now](#)

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

[Web](#)

[APP](#)

BLOG

Your one-stop destination
for all exam related
information & preparation
resources.

[Explore Now](#)

FORUM

Interact with peers & experts,
exchange scores
& improve your preparation.

[Explore Now](#)



www.OliveBoard.in